(भारत के राजपत्र के भाग-I, खंड- I में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार
औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग
नई दिल्ली, 21 दिसम्बर, 2017

अधिसूचना

सं. 5/12/2016-चमड़ा - केंद्र सरकार ने चमड़ा और फुटवियर क्षेत्र में रोजगार सृजन के लिए एक विशेष पैकेज को मंजूरी दी है। पैकेज में 2017-18 से 2019-20 तक तीन वित्तीय वर्षों के दौरान 2,600 करोड़ रुपए के अनुमोदित व्यय के साथ केंद्रीय क्षेत्र योजना 'भारतीय फुटवियर, चमड़ा और सहायक सामग्री विकास कार्यक्रम (आईएफएलएडीपी)' का कार्यान्वयन शामिल है।

2. इस योजना से चमड़ा क्षेत्र के लिए बुनियादी ढांचे का विकास, चमड़ा क्षेत्र से संबंधित पर्यावरण संबंधी चिंताओं का समाधान, अतिरिक्त निवेश की सुविधा, रोजगार सृजन और उत्पादन में वृद्धि होगी।

3. 2017-18 से 2019-20 के दौरान आईएफएलएडीपी के तहत निम्नलिखित उप-योजनाएं कार्यान्वित की जाएंगी: -

(i) मानव संसाधन विकास (एचआरडी)

(ii) चमड़ा क्षेत्र का एकीकृत विकास (आईडीएलएस)

(iii) संस्थागत सुविधाओं की स्थापना

(iv) मेगा लेदर, फुटवियर और सहायक सामग्री क्लस्टर (एमएलएफएसी)

(v) चमड़ा प्रौद्योगिकी, अभिनवीकरण और पर्यावरण संबंधी मुद्दे

(vi) चमड़ा, फुटवियर और सहायक सामग्री क्षेत्र में भारतीय ब्रांडों का संवर्धन

(vii) चमड़ा, फुटवियर और सहायक सामग्री क्षेत्र के लिए अतिरिक्त रोजगार प्रोत्साहन

4. उपर्युक्त सात उप-योजनाओं के दिशानिर्देश विभाग की वेबसाइट http://dipp.nic.in/programmes-and-schemes/others/indian-leather-development-programme पर उपलब्ध हैं।

5. आईएफएलएडीपी के तहत उप-योजनाओं का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए, एक अधिकार प्राप्त समिति और एक संचालन समिति का गठन करने का निर्णय लिया गया है।

6. अधिकार प्राप्त समिति के विचारार्थ विषय निम्नानुसार होंगी:-

(i) भारतीय फुटवियर, चमड़ा और सहायक सामग्री विकास कार्यक्रम के कार्यान्वयन की निगरानी।

(ii) भारतीय फुटवियर, चमड़ा और सहायक सामग्री विकास विकास कार्यक्रम के तहत विभिन्न उप-योजनाओं के दिशा-निर्देशों में संशोधन का सुझाव देना और चमड़ा क्षेत्र के विकास के लिए वांछित परिणाम प्राप्त करने के लिए अपेक्षित/अनिवार्य विशिष्ट उपायों का सुझाव देना।

(iii) चमड़ा उद्योग से संबंधित अथवा उनसे जुड़े विभिन्न मंत्रालयों/विभागों द्वारा कार्यान्वित की जा रही योजनाओं के बारे में जानकारी का समन्वय एवं संकलन करना और चमड़ा क्षेत्र के समग्र विकास के लिए सभी संबंधितों को उसका प्रसार करना।

(iv) संचालन समिति को प्रदत्त शक्तियों अधिकारों के अलावा भारतीय फुटवियर, चमड़ा और सहायक सामाग्री विकास कार्यक्रम की उप-योजनाओं के तहत प्रस्तावों को मंजूरी देना।

(v) संबंधित दिशा-निर्देशों में उल्लिखितानुसार भारतीय फुटवियर, चमड़ा और सहायक सामाग्री विकास कार्यक्रम की सभी उप-योजनाओं से संबंधित विशिष्ट मुद्दों को मंजूरी देना।

(vi) किसी भी अन्य मुद्दे को शामिल करना जो ऊपर नहीं दिया गया है।

7. समिति अपनी प्रक्रियाओं को विकसित करेगी और एक या एक से अधिक उप-समितियों को नियुक्त कर सकती है या इस पर विचार कर सकती है। यह समय-समय पर और आवश्यकतानुसार बैठक करेगी।

8. अधिकार प्राप्त समिति का गठन निम्नानुसार होगा: -

(i)	सचिव (आईपीपी)	अध्यक्ष
(ii)	वित्तीय सलाहकार, औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग	सदस्य
(iii)	अपर सचिव (चमड़ा), औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग	सदस्य
(iv)	नीति आयोग का प्रतिनिधि जो सलाहकार की रैंक के नीचे न हो	सदस्य
(v)	पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय का प्रतिनिधि जो संयुक्त सचिव की रैंक के नीचे न हो	सदस्य
(vi)	जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय के प्रतिनिधि संयुक्त सचिव के रैंक से नीचे न हो	सदस्य
(vii)	वाणिज्य विभाग के प्रतिनिधि संयुक्त सचिव के रैंक से नीचे न हो	सदस्य
(viii)	एमएसएमई के प्रतिनिधि संयुक्त सचिव के रैंक से नीचे न हो	सदस्य
(ix)	कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के प्रतिनिधि, संयुक्त सचिव के रैंक से नीचे न हो	सदस्य
(x)	अध्यक्ष, चमड़ा निर्यात परिषद	सदस्य
(xi)	अध्यक्ष, फुटवियर, चमड़ा और सहायक सामग्री परिषद	सदस्य
(xii)	अध्यक्ष, फुटवियर डिजाइन और विकास संस्थान	सदस्य
(xiii)	प्रबंध निदेशक, फुटवियर डिजाइन और विकास संस्थान	सदस्य
(xiv)	निदेशक, केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान	सदस्य
(xv)	राज्य से संबंधित राज्य सरकार का प्रतिनिधि जिसके लिए भारतीय फुटवियर, चमड़ा और सहायक सामग्री विकास कार्यक्रम के तहत प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है	विशेष आमंत्रित व्यक्ति
(xvi)	संगठन का प्रतिनिधि जिसके लिए भारतीय फुटवियर,	विशेष आमंत्रित व्यक्ति

	चमड़ा और सहायक सामग्री विकास कार्यक्रम के तहत प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है	
(xvii)	प्रस्ताव पर विशेषज्ञता वाले संगठन के विशेषज्ञों जिनके लिए भारतीय फुटवियर, चमड़ा और सहायक सामग्री विकास कार्यक्रम के तहत विचार किया जा रहा है	विशेष आमंत्रित व्यक्ति
(xviii)	संयुक्त सचिव (चमड़ा), औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग	संयोजक
(xix)	अध्यक्ष के निर्णय के अनुसार अन्य आमंत्रित व्यक्ति	विशेष आमंत्रित व्यक्ति

9. संचालन समिति के विचारार्थ विषय निम्नानुसार होंगे:-

(i) प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करना, कार्यप्रणालियों को निर्धारित करना, आधुनिकीकरण कार्यक्रम के लिए आवश्यक मानक संयत्र और मशीनरी के लिए नियामक कीमतों का निर्णय करना, सरकार से वित्तीय सहायता की स्वीकृति प्राप्त करना और उप-योजना चमड़ा क्षेत्र का एकीकृत विकास (आईडीएलएस) के तहत औद्योगिक इकाईयों के लिए सरकार से वित्तीय सहायता की निगरानी तथा संवितरण करना

(ii) भारतीय फुटवियर, चमड़ा और सहायक सामग्री विकास कार्यक्रम के अंतर्गत 'चमड़ा प्रौद्योगिकी, अभिनवीकरण और पर्यावरण संबंधी मुद्दे' की उप-योजना के मानव संसाधन विकास तथा सामान्य बहिस्राव आशोधन संयंत्र संघटक की उप-योजनाओं के तहत 15 करोड़ रु. तक की लागत वाले प्रस्तावों का अनुमोदन और

(iii) भारतीय फुटवियर, चमड़ा और सहायक सामग्री विकास कार्यक्रम के तहत विभाग द्वारा स्वीकृत परियोजनाओं के कार्यान्वयन की निगरानी करना।

(iv) संबंधित दिशानिर्देशों में उल्लिखितानुसार आईएफएलएडीपी की सभी उप-योजनाओं से संबंधित विशिष्ट मुद्दों का समाधान करना।

(v) अधिकार प्राप्त समिति द्वारा सौंपा गया अन्य कोई भी कार्य।

10. समिति अपनी प्रक्रियाओं को विकसित करेगी और एक या एक से अधिक उप-समितियों को नियुक्त कर सकती है या इस पर विचार कर सकती है। यह समय-समय पर और आवश्यकतानुसार बैठक करेगी।

11. संचालन समिति की संरचना निम्नानुसार होगी:-

(i)	संयुक्त सचिव (डीआईपीपी)	अध्यक्ष
(ii)	निदेशक / उप सचिव (वित्त विंग), औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग	सदस्य
(iii)	वाणिज्य विभाग के नामिति	सदस्य
(iv)	एमएसएमई मंत्रालय के नामिति	सदस्य
(v)	निदेशक, केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान अथवा नामिति	सदस्य
(vi)	प्रबंध निदेशक, फुटवियर डिजाइन और विकास संस्थान अथवा नामिति	सदस्य
(vii)	संवितरण बैंक (बैंकों) के मुख्य महाप्रबंधक अथवा नामिति	सदस्य
(viii)	अध्यक्ष, चमड़ा निर्यात परिषद	सदस्य
(ix)	अध्यक्ष, फुटवियर, चमड़ा और सहायक सामग्री परिषद	सदस्य
(x)	निदेशक / उप सचिव (चमड़ा), औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग	संयोजक
(xi)	अध्यक्ष के निर्णय के अनुसार अन्य आमंत्रित व्यक्ति	विशेष आमंत्रित व्यक्ति

(पी दासगुप्ता)
उप सचिव, भारत सरकार

प्रबंधक
भारत सरकार मुद्रणालय
(भारत सरकार प्रेस), फरीदाबाद

सं.5/12/2016-चमड़ा, नई दिल्ली, 21 दिसम्बर,2017.

प्रति सूचनार्थ:

1. सचिव (समन्वय), मंत्रिमंडल सचिवालय
2. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, नीति आयोग
3. सचिव, व्यय विभाग
4. सचिव, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय और जलवायु परिवर्तन
5. सचिव, जल संसाधन मंत्रालय, नदी विकास और गंगा संरक्षण
6. सचिव, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय
7. सचिव, श्रम और रोजगार मंत्रालय
8. सचिव, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय
9. सचिव, विधि एवं न्याय मंत्रालय, विधि कार्य विभाग
10. सचिव, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग
11. सचिव, वाणिज्य विभाग
12. मुख्य सचिव (राज्य / संघ राज्य क्षेत्र)
13. सभी राज्यों / संघ शासित प्रदेशों के महालेखाकार
14. एएस एंड एफए, डीआईपीपी
15. मुख्य नियंत्रक लेखा, डीआईपीपी
16. बजट और लेखा अनुभाग, डीआईपीपी
17. प्रबंध निदेशक, फुटवियर डिजाइन और विकास संस्थान, नोएडा
18. अध्यक्ष, चमड़ा निर्यात परिषद, चेन्नई
19. अध्यक्ष, फुटवियर, चमड़ा और सहायक सामग्री परिषद
20. निदेशक, केन्द्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान, चेन्नई
21. डीआईपीपी के सभी अनुभागों में आंतरिक परिचालन के लिए

रोमिला

(रोमिला वरंदानी)

अवर सचिव, भारत सरकार